

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं०- 10/निजी-01-1028/25-

पटना/दिनांक-

श्रीमती आकांक्षा कुमारी (आई०डी०-5689), सहायक निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना का प्रथम प्रसव हेतु विभागीय आदेश संख्या-4733 दिनांक-14.10.2025 द्वारा दिनांक-21.10.2025 से दिनांक-17.04.2026 तक कुल-180 दिनों के स्वीकृत मातृत्व अवकाश को संशोधित करते हुए दिनांक-08.10.2025 से दिनांक-05.04.2026 तक कुल-180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1028/25- पटना/दिनांक-
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1028/25- पटना/दिनांक-
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक-206 दिनांक-20.04.2026 के आलोक में/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1028/25- पटना/दिनांक-
प्रतिलिपि :- श्रीमती आकांक्षा कुमारी (आई०डी०-5689), सहायक निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1028/25- 2605 पटना/दिनांक- 12/06/2026
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।